भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1232

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय महिला कोष के उद्देश्य

1232. श्री जयंत सिन्हा:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) राष्ट्रीय महिला कोष की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या-क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही ऋण योजनाओं तथा वर्ष 2022-23 में आवंटित, संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और विशेषरूप से झारखंड में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) एक सोसायटी है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के तत्वावधान में 1993 में स्थापित एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है।

आरएमके की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्राहक-अनुकूल प्रक्रिया में रियायती शर्तों पर विभिन्न आजीविका सहायता और आय सृजन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करना था।

लक्षित लाभार्थी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़े उद्यमी हैं, जैसे कृषि, बागवानी, मछली पालन, डेयरी, मुर्गी पालन और पशुपालन, पारंपरिक और आधुनिक हस्तशिल्प, छोटे

व्यवसाय जैसे छोटी दुकान, चाय की दुकान, सब्जी और फल की दुकान आदि, कार्यशील पूंजी, संपत्ति सृजन और संपत्ति मोचन, आवास, कोई अन्य आय सृजन गतिविधियां जिसमें उधार लेने वाली महिलाएं आजीविका गतिविधियों के लिए सक्षम हैं।

आरएमके की योजना/ऋण उत्पाद थे - (i) ऋण प्रोत्साहन योजना (ii) मुख्य ऋण योजना (iii) गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना (iv) आवास ऋण योजना और (v) कार्यशील पूंजी सावधि ऋण।

आरएमके ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सूक्ष्म वित्त ऋण स्वीकृत या वितरित नहीं किया है।

समय के साथ, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऋण सुविधा तंत्र उपलब्ध हो गए हैं। आरएमके द्वारा की जा रही गतिविधियां बैंकों द्वारा की जा रही हैं, जिन्होंने अब तक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत 8.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लिंकेज प्रदान किया है। लगभग 10 करोड़ परिवार अब 90 लाख से अधिक महिला एसएचजी से जुड़े हुए हैं जो कई नवीन और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं।

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के तत्कालीन प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा 'स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण' पर रिपोर्ट के आधार पर, 'राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)' सहित 3 संगठनों को बंद करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई थी। आरएमके के सभी नियमित कर्मचारियों की सेवाएँ 31 दिसम्बर, 2023 से समाप्त हो गई हैं और उन सभी को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस) के तहत वे सभी लाभ प्रदान किए गए हैं जिनके वे हकदार हैं। इसके अलावा, आरएमके की सभी गतिविधियां 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दी गई हैं और उसी तारीख से बकाया ऋण पोर्टफोलियो 'जैसा है जहां है' के आधार पर सिडबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

******